

394



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


A 479154



जीवन



जीवन



जीवन



रवि

(1)

विक्रित सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के भाग-2 (क-1) (IV) के पृष्ठ सं. 11 के क्रम संख्या 220 वाकै मौजा सिमराहा ब्लाक बडागाँव तहसील व जिला झाँसी के अनुसार आबादी से 200 मीटर की परिधि में आने वाले गाटा नम्बरान की दर 12,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर।

स्टाम्प का कुल योग	- 59,500 /-
दस्तावेज का प्रकार	- बैनामा
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य	} - 8,10,000 /-

शाम्भूजी शर्मा



दुर्गाधर राय



शिवराम लाल



नि. वती



पुकाश राय



रवि





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

957102



(2)



विक्रय मूल्य

— 8,50,000 / —

मौजा

— सिमराहा

ब्लाक

— बड़ागाँव

सम्पत्ति का प्रकार

— कृषिकीय

मापन की इकाई

— हेक्टेयर

सम्पत्ति का क्षेत्रफल

— 0.675 हेक्टेयर सम्पूर्ण

सड़क की स्थिति

— विक्रित आराजी आवादी से 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत स्थित है एवं लिंक मार्ग के निकट स्थित है।

श्री. रानी


श्री. रानी

श्री. रानी

श्री. रानी

श्री. रानी

श्री. रानी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 226019

(3)

पेड़ों का मूल्यांकन

- कोई पेड़ नहीं है।

बोरिंग / कुआँ / अन्य

- कोई कुआँ नहीं है।

प्रथम पक्ष की संख्या - पाँच

द्वितीय पक्ष की संख्या - एक

नाम व पक्ष विक्रेता प्रथम पक्ष- श्री राम भरोसे व लखन लाल व प्रकाश व दुर्योधन

पुत्रगण स्व० श्री रामसेवक व श्रीमती रती पत्नी

स्व० श्री रामसेवक निवासीगण-ग्राम सिमराहा,

तहसील व जिला झाँसी

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष- श्री सुरेन्द्र राय पुत्र श्री नारायण दास राय

निवासी-276/1, सिविल लाइन, सेल्स टैक्स

ऑफिस के पास, झाँसी (पैन नं. AGWPR9015N)

राम भरोसे


श्री रामसेवक

प्रकाश राय

दुर्योधन राय

रती

सुरेन्द्र राय



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 226020

(1)

सम्पत्ति का विवरण :- आराजी गुग्गिधरी ताके मौजा सिगराहा ब्लाक बड़ागाँव परगना व जिला झाँसी जिसका खाता संख्या 00057 आराजी नम्बर 179 रकवा 0.526 हेक्टेयर व आराजी नं. 177/2 रकवा 0.149 हेक्टेयर कुल 2 कित्ता रकवा 0.675 हेक्टेयर सम्पूर्ण वय किया गया है। विक्रित आराजी आवादी से 200 मीटर की दुरिधि के अन्तर्गत स्थित है एवं सिक मार्ग के निकट स्थित है। दरतावेज हाजा के साथ विक्रित आराजी का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित आराजी नम्बरान करके ज्ञा दशाये गये है जो वेनामा का अंश भाग है। विक्रित आराजी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं है विशुद्ध कृषिकीय भूमि है। विक्रित आराजी में कोई पेड़ कुआँ आदि नहीं है। विक्रित आराजी

राज शर्मा सोरम

वि. न. न. न. न.

पुकारा ११२४



दुर्गादेव राटा

ए. सी.

सु. स. स. स.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 358269

३

(5)

राकर सौरभ सिन्हा है। नगशुदा आराजी का नया लगान 9 रूपया 70 पैसा सालाना है।

नगशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी दूरत की सम्पत्ति नहीं है। विक्रित आराजी

विक्रतागण की पैत्रिक सम्पत्ति है। उक्त आराजी में अकृषक भूमि की घोषणा यू0पी0 से००००

ए०००० ए०००० ए०००० की धारा 143 की घोषणा नहीं हुई है। तद्विषय रादर के राजस्व

अभिलेखों में विक्रित भूमि कृषिकीय भूमि के रूप में दर्ज है, एवं इसका वास्तविक उपयोग

कृषिकीय है। विक्रित आराजी में विक्रतागण का कोई भी अश शेष नहीं रहा है।

विक्रतागण अनुरूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यगण नहीं है।

विक्रय मूल्य 8,50,000/- आठ लाख पचास हजार रूपया जो नगद पूर्व प्राप्त कर लिया है।

श्री गणेश गिरा



श्री ए००००००००



पुनः शर्मा



श्री ए०००००००००



श्री ए०००००००००



श्री ए०००००००००





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 358270

(6)

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा
निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य


8,10,000/- आठ लाख दस हजार
रुपया से अधिक नहीं है। चूंकि
विक्रय मूल्य अधिक है अतः स्टाम्प
शुल्क विक्रय मूल्य पर अदा किया
गया है।

हम कि निकेतागण उपरोक्त आराजी उपरोक्त के सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व
दस्वील हैं, जो कभी वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत
से पाक साफ व बरी है न ही आराजी के स्वागित्त के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में
विचारार्थ है न ही आराजी किसी जमानत, डिग्री, कर्ण आदि में गगफूल है। चूंकि हम
निकेतागण को घरु कार्य हेतु रूपयों की जरूरत है अतः हम निकेतागण अपनी उपरोक्त
आराजी यकीमत उपरोक्त में चहक केता उपरोक्त वय न फरोख्त करते है, कब्जा दखल
मालिकाना आज ही की तारीख से केता उपरोक्त को वसुली मौके पर करा दिया है अधिकार

राजेश्वर शर्मा

श्री. लखन लाल

प्रकाश शर्मा



दुर्गेश्वर शर्मा

अक्षय

शुभ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 358271

(7)

आप क्रेता आराजी मुद्रा में स्वयं काशत करें या किसी अन्य व्यक्ति से काशत करावे, कामजात मालिकान से हमारा नाम आरख करके अपना नाम दर्ज कामजात करावे तय हिया रहिन करे गर्ज यह हे कि जो जो वाद सा करे। आज की तारीख से आराजी मुद्रा से हमारा व हमारे आरिसान का कोई वास्ता व सरोकार नही रहा न आगन्दा होगा। काश किसी कानूनी मुकदा की वजह से आराजी मुद्रा कब्ज कंता से निकले जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा के देनदार व जिम्मेदार हम विक्रतागण रहेंगे। विक्रतागण एवं कंता का कथन हे कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य सही-सही एवं पूर्ण वर्णित किये गये हैं। यदि विक्रतागण या कंता द्वारा तहरीरशुदा दरतावेज में किन्ही तथ्यों को छुपाया जाता है या कोई कृत रचना कशायी जाती है तो उपर

राम लाल शर्मा

गोपाल लाल

पुष्पा शर्मा




कुमेश्वर लाल

...

...





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 358272

(8)

कृत्य का सम्पूर्ण दायित्व मुकदमों आदि जैसे फौजदारी, दीवानी, माल, राजस्व, स्टाम्प एक्ट के वादों का दायित्व विक्रेतागण व कंता का ही होगा, सब रजिस्ट्रार, वकील (एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, या जारिये कहीं विन्न प्रमाणित के गवाह का नहीं होगा, कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेतागण व कंता का ही होगा। लिखना स्वच्छ से विक्रेतागण एवं कंता द्वारा बताने गये तथ्यों के आधार पर तथा बिना किसी जवाब या दवाव के यह वेनामा तहसीर कर दिया ताकि सच रह करत जरूरत पर काम आना।

सच को प्रमाणित करता हूँ

श्री लखनपाल

प्रकाश शर्मा



श्री राम प्रसाद

श्री केशव


श्री सुधीर



भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES



सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 955582

(9)

दिनांक : 13-09-2010

प्रारूपकर्ता : पं० हरीश कुमार तिवारी, एडवोकेट, तहसील झांसी # PH

राधाशंकर शर्मा

जन्मसर्वनाथ

सुकाश शर्मा



दुर्गाशंकर शर्मा

शिवजी

(सुकाश शर्मा)



गवाह (1) श्री जतिन प्रसन्न शर्मा पं० श्री सुरेश प्रसाद शर्मा
432 अन्व बंगला झांसी

गवाह (2) केलाशंकर शर्मा S/O श्री माधवप्रसाद शर्मा - राम मण्डल
सिद्धम मंडल, लखीम

मो. 8-1
सुरेश शर्मा

सुकाश
शर्मा

जतिन शर्मा

13-9-10

नक्शा - नजरी

क्रेता का नाम श्री. सुरेश चंद्र

क्रेता का नाम श्री. सुरेश चंद्र

मौजा.. मिर्साई.

तहसील, परगना व जिला झाँसी


भूमि नम्बर 966, 966/2.

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित


सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र

200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग)

से प्रदर्शित है।



शरद चंद्र क्रेता लाल युका शराय



हस्ताक्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर



हस्ताक्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

2

13-9-10

8166/13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 479063



श्री राय



श्री राय




(1)

विक्रित सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के भाग-2 (क-1) (IV) के पृष्ठ सं 11 के क्रम संख्या 220 वाले मौजा सिमराहा ब्लाक बड़ागोंव तहसील व जिला झाँसी के अनुसार सामान्य भूमि की दर 6,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर। व आबादी से 200 मीटर की पारिधि में आने वाले गाटा नम्बरान की दर 12,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर।

स्टाम्प का कुल योग	- 62,600/-
दस्तावेज का प्रकार	- बैनामा
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य	} - 10,36,000/-
विक्रय मूल्य	

श्री राय (11/8)



श्री राय



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये



TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

957034

(2)

मोजा

- सिमराहा

ब्लाक

- बड़ागॉव

सम्पत्ति का प्रकार

- कृषिकीय

मापन की इकाई

- हेक्टेयर

सम्पत्ति का क्षेत्रफल

- 1.312 हेक्टेयर सम्पूर्ण

सड़क की स्थिति

- विक्रेत आराजी नम्बर 176 व 177/1 सड़क से 200 मीटर से दूर एवं आबादी से 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत स्थित है एवं शेष नम्बरान सड़क एवं आबादी से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

पेड़ों की मूल्यांकन


- कोई पेड़ नहीं है।


वोरिंग / कुआँ / अन्य


- कोई कुआँ नहीं है।

प्रथम पक्ष की संख्या - एक

द्वितीय पक्ष की संख्या - एक









भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


N 225893


(3)

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष—श्री प्रागीलाल पुत्र स्व० श्री हल्कू निवासी—ग्राम
सिमराहा, तहसील व जिला झाँसी

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष— श्रीमती मीना देवी राय पत्नी श्री रमेश चन्द राय
निवासी—क्यू-8, रस बहार कॉलौनी, नन्दनपुरा,
सीपरी बाजार, झाँसी (पेन नं. AFIPR6416C)

सम्पत्ति का विवरण :- आराजी भूमिधरी वाकै मौजा सिमराहा ब्लाक बड़ागॉव
परगना व जिला झाँसी जिसके आराजी नम्बरान व रकवा जैल में दर्ज है। विक्रित
आराजी नम्बर 176 व 177/1 सडक से 200 मीटर से दूर एवं आबादी से 200 मीटर की
पारिधि के अन्तर्गत स्थित है एवं शेष नम्बरान सडक एवं आबादी से 200 मीटर से अधिक दूरी
पर स्थित है। दस्तावेज हाजा के साथ विक्रित आराजी का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित







भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 225894

(4)

आराजी नम्बरान वरंग लाल से दर्शाये गये हैं, जो बैनामा का अंश भाग है। विक्रित आराजी औद्योगिक क्षेत्र की गूंगि नहीं हैं विशुद्ध कृषिकीय भूमि है। विक्रित आराजी में कोई पेड कुआँ आदि नहीं है। विक्रित आराजी राकर सोयम सिंचित है। वयशुदा आराजी का नया लगान 22 रूपया 55 पैसे सालाना है। वयशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। विक्रित आराजी विक्रेता की पैत्रिक सम्पत्ति है। उक्त आराजी में अकृषक भूमि की घोषणा यू०पी० नो०६०९० एण्ड एल.आर. एक्ट की धारा 143 की घोषणा नहीं हुई है। तहसील सदर के राजस्व अगिलेखों में विक्रित भूमि कृषिकीय भूमि के रूप में दर्ज है, एवं इसका वास्तविक उपयोग कृषिकीय है। दस्तावेज हाजा में उ०प्र० सरकार अधिसूचना आदेश संख्या स०वि०क०नि० -5- 462 / 11-2006-500 (92)/ 2005 दिनांक 23 फरवरी 2006 के बाद आंशिक शासन अधिसूचना के क्रम में दिनांक 30-06-2008 के अनुसार महिला द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति की मालियत 10,36,000/- पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

श्री. व. व. व.



श्री. व. व. व.



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 225895

(5)

विक्रेता असूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है।

सड़क एवं आबादी से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित नम्बरान निम्न है :-


खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकवा
00027	173 ब	0.445 हे०
	180	0.041 हे०
	184	0.061 हे०
	108 ब	0.008 हे०
	174	0.061 हे०
	173 अ	0.283 हे०

कुल 6 किता रकवा 0.899 हेक्टेयर सम्पूर्ण वय किया गया है।

सिद्धा

सी नारायण





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 358246

(6)

आबादी से 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत स्थित नम्बरान निम्न है :-

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकवा
00027	176	0.360 हे०
	177/1	0.053 हे०

कुल 2^{1/2} किता रकवा 0.413 हेक्टेयर सम्पूर्ण वय किया गया है। इस प्रकार कुल रकवा 1.312 हेक्टेयर सम्पूर्ण वय किया गया है। विक्रित आराजी में विक्रेता का कोई भी अंश शेष नहीं रहा है।

विक्रय मूल्य-10,00,000/- दस लाख रूपया जो नगद पूर्व प्राप्त कर लिया है।

प्रतिपक्ष

मी. नारायण



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 358247

(7)

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा
निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य

10,36,000/- दस लाख छत्तीस
हजार रूपया से अधिक नहीं है।

मैं कि विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व धुवरी है न ही आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है न ही आराजी किसी जमानत, डिग्री, ऋण आदि में मगफूल है। चूँकि मुझ विक्रेता को घरु कार्य हेतु रूपयो की जरूरत है अतः मैं विक्रेता अपनी उपरोक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त वय व फरोख्त करता हूँ, कब्जा दखल मालिकाना आज ही की तारीख से क्रेता उपरोक्त को वखूवी मौके पर करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में स्वयं काशत करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काशत करावें, कागजात मालिकान से मेरा नाम खारिज कराके अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें। आज की तारीख से आराजी मुवैया से मेरा व मेरे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रही न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा का देनदार व जिम्मेदार मैं विक्रेता रहूँगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी





भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 955569

(8)

भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य सही-सही एवं पूर्ण वर्णित किये गये हैं। लिहाजा रवेच्छा से विक्रता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तथा बिना किसी जबर या दबाव के यह बेनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवें।

5/10/1977

श्री. गाराय



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 187591

(9)

दिनांक : 08-09-2010

प्रारूपकर्ता : पं० हरीश कुमार तिवारी, एडवोकेट, तहसील झांसी 11-000

हरीश कुमार


हरीश कुमार

श्रीश्यामल कितलकिर
कलश राय
हस्ताक्षर



गवाह (1) कैलाश राय -5. प्योर लाल राय उरुपापुरा शिवानीनगर झांसी
गवाह (2) शशीश गायन राय श्री किनाल सिंह भादल पशुवेग, कि०राज

- मूचित्र
 मौजा - सिमराह
 परगना - आंसी
 जिला - आंसी
 सन 1930 - 31



सिमापत्र का काम सफल होतु जारी

वकील
 30-6-30

मजदूर...
 नगरपालिका कार्यालय



BHULEKH
Uttar Pradesh

खता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : सिमरख पारणा : (शांती) खसरी : शांती नगर : शांती फसली वर्ष : 1425-1430 भाग : 1 खता संख्या : 00196

खतदार का नाम / भिदा पति संवत्सक का नाम / भिदा स्थान

खसरा संख्या

क्षेत्रफल
(हे.)

अदरक

दियायी

श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्तर, साइक, रेल्वे, भवन और ऐसी दूसी भूमियां जो अकृषित उपयोग के काम में लानी जल्दी हो।

श्रीमती भीमदेवी राय / पत्नी रामेशचन्द्र राय / नि.कम्. 8रसखर कालीनी नन्दगुवा

176	0.3600	
173B	0.4450	
180	0.0410	
177/1	0.0530	
184	0.0610	
108A	0.0080	
174	0.0610	
173A	0.2830	

योग

5

1.3120

Disclaimer: उक्त अकृषिक भूमि अकृषिक उपयोग के लिए है। यह भूमि अकृषिक उपयोग के लिए है।
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh, State Unit, Lucknow



1.9790
1.028
2.1070